प्रेस नोट
थाना कोतवाली, झाँसी

दिनांक- 29.03.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस कस्टडी से फरार शातिर अभियुक्त मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार,**
- **कब्जे से अवैध तमंचा खोखा व जिन्दा कारतूस तथा एक टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 29.03.2026 थाना कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नगरिया कुआं रोड नियर राईन कब्रिस्तान के पास समय करीब 00.40 बजे मु0अ0सं0- 64/2026, 82/2026, 83/2026 एवं 85/2026 में वाछिंत एवं पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त नदीम पुत्र शकूर खान निवासी हरदौल का मोहल्ला (वंशन का पुरा) थाना दतिया जिला दतिया मध्यप्रदेश उम्र करीब 19 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा, खोखा व जिन्दा कारतूस एवं एक टीवीएस मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण को दिनांक 16.03.2026 की रात्रि में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में 1. दीपक उर्फ संजय जाटव पुत्र अमर सिंह निवासी गणेशपुरा, थाना बिजौली, जनपद ग्वालियर (मध्यप्रदेश), उम्र करीब 31 वर्ष तथा 2. नदीम पुत्र शकूर खान निवासी हरदौल का मोहल्ला (वंशन का पुरा), थाना दतिया, जनपद दतिया (मध्यप्रदेश), उम्र करीब 19 वर्ष शामिल थे।

विधिक कार्यवाही उपरांत का0 1031 ज्ञानेन्द्र पटेल एवं का0 1280 मयंक गुप्ता को अभियुक्तगण को सुपुर्द कर मेडिकल परीक्षण कराए जाने एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु रवाना किया गया था। आरक्षीगण द्वारा दोनों अभियुक्तों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मेडिकल परीक्षण के दौरान अभियुक्त नदीम पुत्र शकूर खान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था।

इसी क्रम में दिनांक 29.03.2026 को थाना कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं फरार अभियुक्त की तलाश हेतु थाना कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त नदीम सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल से कहीं जाने की फिराक में है।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक व्यक्ति सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वह मुड़कर भागने लगा। पीछा करने पर वाहन असंतुलित होकर गिर गया, जिसके उपरांत उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 03 खोखा कारतूस, 01 जीवित कारतूस, ₹500 नगद तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, झांसी भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

01. नदीम पुत्र शकूर खान निवासी हरदौल का मोहल्ला (वंशन का पुरा) थाना दतिया जिला दतिया मध्यप्रदेश उम्र करीब 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 64/2026 धारा 305a/331(4)a बीएनएस थाना कोतवाली

मु0अ0सं0- 82/2026 धारा 305a/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली

मु0अ0सं0- 83/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 109(1) बीएनएस

मु0अ0सं0- 85/2026 धारा 261, 262 बीएनएस

मु0अ0सं0- 15/2024 धारा 120बी, 34, 396, 397, 398, 412, 413 भादवि थाना पनवाड़ी महोबा

मु0अ0सं0- 132/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट

बरामदगी का विवरण –

1. अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 03 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय पुलिस टीम

2- प्रभारी स्वाट मय टीम